राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर–302018

www. rsmsssb.rajasthan.gov.in *दूरभाष नं. 0141–2722520*

क्रमांकः *प.14(166)RSSB/अर्थना/विविध/2025/* **दिनांकः यथाहस्ताक्षर**

–::संशोधित प्रेस विज्ञप्ति::–

बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशा–निर्देश।

बोर्ड द्वारा पूर्व में दिनांक 01.04.2025 को''**बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशा–निर्देशों**'' के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। इस संबंध में कार्मिक विभाग (क–2) द्वारा परिपत्र क्रमांक–प. 8(3)कार्मिक/क–2/2023–04443 दिनांक 09.05.2025 को राज्य की सभी भर्ती परीक्षाओं के संबंध में जारी किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा पूर्व में जारी प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 01.04.2025 के अन्तर्गत प्रावधान दिनांक 08.05.2025 तक आयोजित भर्ती परीक्षाओं पर लागू होगें। इसके बाद में कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 09.05.2025 के प्रावधान लागू करते हुये संशोधित प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है।

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19.04.2023 के अनुसार राज्य में विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवेदन करने हेतु वन टाईम रजिस्ट्रेशन (OTR) का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार अभ्यर्थी को एक बार ही पंजीयन शुल्क देना होता है। वन टाईम रजिस्ट्रेशन (OTR) के प्रावधान की अनुपालना में अभ्यर्थी अपना एकबारीय पंजीयन शुल्क देकर भविष्य की सभी परीक्षाओं में निःशुल्क आवेदन करने का पात्र हो जाता है। भर्ती एजेन्सी द्वारा एकबारीय पंजीयन की व्यवस्था के परिणामस्वरूप भर्ती परीक्षाओं में एक बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा भी आवेदन किया जा रहा है जो उस भर्ती से संबंधित पद की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव धारित नहीं करते हैं और वे परीक्षा में उपस्थित भी नहीं होते हैं। अभ्यर्थियों के बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होने एवं परीक्षा में अनुपस्थित रहने के कारण भर्ती एजेन्सी को परीक्षा आयोजन में अव्यवस्था का सामना करना पडता है तथा परीक्षा हेतु की जाने वाली व्यवस्था में होने वाला व्यय भी निष्फल होता है। बोर्ड को आवेदन पत्रों की संख्या के अनुसार ही दो या उससे अधिक पारियों में परीक्षा, प्रश्न पत्रों/ओ.एम.आर. का प्रकाशन, परीक्षा केन्द्रों की स्थापना, सुरक्षा व्यवस्थायें एवं कार्मिकों की नियुक्ति इत्यादि परीक्षा आयोजन संबंधी कार्यवाही की जानी होती है। अभ्यर्थियों के बड़ी संख्या में परीक्षा में अनुपस्थित रहने के कारण परीक्षाओं को दो या उससे अधिक पारियों में व्यवस्थित किये जाने से स्कूलों में पढ़ाई बाधित होने एवं अत्यधिक परीक्षा केन्द्रों पर व्यवस्थाओं से परीक्षा नियंत्रण में अनावश्यक रूप से परेशानी होती है तथा राज्य सरकार के व्यय में भी अनावश्यक रूप से वृद्धि होती है।

अतः ऐसे अभ्यर्थी जो बिना गंभीरता के वन टाईम रजिस्ट्रेशन (OTR) से एक बार पंजीयन शुल्क देकर निःशुल्क आवेदन भर देते हैं किन्तु परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, उन अभ्यर्थियों के लिये निर्देश जारी किये जाते हैं कि यदि कोई अभ्यर्थी एक वित्तीय वर्ष (01 अप्रेल–31 मार्च) में आयोजित राजस्थान राज्य में आयोग/बोर्ड एवं अन्य भर्ती एजेन्सी की किन्हीं दो परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा को प्रतिबन्धित (Block) कर दिया जायेगा, जो शुल्क 750/– रूपये की शास्ति चुकाने पर ही Unblock किया जायेगा। उनके वन टाईम रजिस्ट्रेशन (OTR) को प्रतिबंधित (Block) कर दिया जायेगा।

ऐसे अभ्यर्थी प्रथम बार प्रतिबंधित होने पर पैनल्टी शुल्क 750/– रूपये देकर अपना वन टाईम रजिस्ट्रेशन (OTR) पुनः चालू कर सकेंगें। यदि अभ्यर्थी पुनः उसी वित्तीय वर्ष में दो और भर्ती–परीक्षाओं में अनुपस्थित हो जाता है तो उसके ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को पुनः प्रतिबंधित (Block) कर दिया जायेगा तथा वापस तभी सुविधा उपलब्ध होगी जब पेनल्टी शुल्क दोगुना यानि 1500/– रूपये नहीं चुका देता। अतः अभ्यर्थी उन्हीं परीक्षाओं के लिये आवेदन भरें जिसमें वे सम्मिलित हो रहे हो ताकि असुविधा और पेनेल्टी शुल्क दिये जाने से बच सकें।

कार्मिक विभाग (क–2) के पत्र क्रमांक– प.8(3)कार्मिक/क–2/2023–04443 दिनांक 09.05.2025 की अनुपालना में स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई आवेदक किन्हीं कारणों से किसी परीक्षा में उपस्थित होने का इच्छुक नहीं है तो उसे परीक्षा में अनुपस्थित होने पर उपर्युक्त दोनों स्थितियों में इंगित देय राशि से तब ही मुक्त किया जायेगा, जब वह परीक्षा आयोजित होने से एक माह पूर्व भर्ती एजेन्सी को निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से सूचित करेगा। इसके अन्तर्गत यदि कोई आवेदक किन्हीं कारणों से किसी परीक्षा में उपस्थित होने का इच्छुक नहीं है तो **बोर्ड द्वारा परीक्षा आयोजन से एक माह पूर्व आवेदन को प्रत्याहारित करने हेतु अवसर प्रदान किया जायेगा।** इस हेतु सूचना पृथक से बोर्ड की वेबसाईट के माध्यम से दी जायेगी। आवेदक SSO Portal पर Login कर Recruitment Portal का चयन कर My Recruitment Section के अन्तर्गत संबंधित परीक्षा के समक्ष उपलब्ध Withdraw Button पर क्लिक कर अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रत्याहरित (Withdraw) कर सकेगें। **इस संबंध में प्रस्तुत ऑफलाईन प्रार्थना पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।**

(डॉ. बी. सी. बधाल)
सचिव

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2025.05.20 12:41:14 IST
Reason: Approved

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, राजस्थान सरकार, कार्मिक (क–2) विभाग।
2. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. प्रभारी अधिकारी IT-Cell को उक्त विज्ञप्ति की प्रति प्रेषित कर [illegible] के [illegible] अपलोड करावें एवं उक्तानुसार बोर्ड एवं RISL के स्तर पर की [illegible] करावें।
4. प्रभारी अधिकारी परीक्षा अनुभाग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर।

सचिव